

## गवाह सुरक्षा योजना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महेंद्र चावला व अन्य बनाम भारत संघ में पारित न्यायादेश द्वारा अनुमोदित गवाह सुरक्षा योजना - 2018 की कंडिका - 2 (C) के तहत जिला स्तरीय सक्षम प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक सदस्य तथा जिला अभियोजन पदाधिकारी, सदस्य सचिव हैं। गवाह सुरक्षा संदर्भित आवेदन जिला अभियोजन पदाधिकारी के कार्यालय से या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज की ओर से सूचनार्थ।